<u>निर्वाचन तत्काल</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आई.डी./ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./विधिक/एसडीआर/खण्ड-I/2018 दिनांक: 12 फरवरी, 2018

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
मध्य प्रदेश,
भोपाल

विषय : **राज्य विधान सभा का उप-निर्वाचन, 2018-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश-तत्संबधी।**

महोदय,

मध्य प्रदेश में 24-कोलारस और 34-मुंगावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधान सभा के दिनांक **30-01-2018** को अधिसूचित वर्तमान उप-निर्वाचनों के सम्बन्ध में निर्वाचकों की पहचान करने के संबंध में आयोग का दिनांक 12 फरवरी, 2018 का आदेश इसके साथ संलग्न करने का मुझे निदेश हुआ है।

2. आयोग ने यह निदेश दिया है कि **मध्य प्रदश में 27-कोलारस और 34-मुंगावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों** में सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक)जारी किए गए हैं, को अपने मत देने से पहले मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए एपिक प्रस्तुत करना है। वे निर्वाचक जो एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

3. एपिक के मामले में, उसकी प्रविष्टियों की मामूली असंगतियां नजरअंदाज कर दी जानी चाहिए बशर्ते एपिक द्वारा निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सके। यदि निर्वाचक कोई ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड प्रस्तुत करते हैं जो दूसरे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो ऐसे कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में मौजूद हो जहां निर्वाचक मतदान करने उपस्थित हुए हैं। यदि फोटोग्राफ, आदि के बेमेल होने की वजह से निर्वाचक की पहचान स्थापित करना संभव नहीं हो तो निर्वाचक को आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

4. प्रवासी निर्वाचकों को पहचान के लिए केवल अपना मूल पासपोर्ट ही पेश करना होगा।

5. आदेश संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और सभी पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। इस आदेश की प्रादेशिक भाषा में अनूदित एक प्रति प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6. आयोग का आदेश दिनांक 12 फरवरी, 2018 में राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित करवाया जाए। इस आदेश का सामान्य जनता एवं निर्वाचकों की जानकारी के लिए <u>प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक</u> मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उक्त साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयोग के इस निदेश से लिखित रूप में अवगत कराया जाए।

7. कृपया नोट करें कि प्रपत्र 17क (मतदाता रजिस्टर) के स्तंभ (3) में पहचान दस्तावेज के अंतिम चार अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एपिक और प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों के मामले में यह पर्याप्त होगा कि क्रमश: अक्षर 'ईपी' (एपिक का सूचक) और 'वीएस' (फोटो मतदाता पर्ची का सूचक) का संगत स्तंभ में उल्लेख कर दिया जाए, और एपिक या फोटो मतदाता पर्ची की संख्या लिखना आवश्यक नहीं है। हालांकि, जो लोग कोई वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान करते हैं उनके मामले में दस्तावेज के अंतिम चार अंकों के लिखे जाने के अनुदेश लागू बने रहेंगे। उसमें प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के प्रकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

8. रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाएंगे कि वे इस आदेश की विवक्षाएं नोट करें और विशेष ब्रीफिंग के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को उसकी विषय-वस्तु से अवगत कराएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पत्र की एक प्रति निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों/बूथों में उपलब्ध हो।

9. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

ह./-

(अभिषेक तिवारी)

अनुभाग अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

सं. 3/4/आई.डी./ईसीआई/पत्र/व्यवहारिक/विधिक/एसडीआर/खण्ड-II/2017 दिनांक- 23 मार्च, 2017

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है; तथा
2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके। निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा
3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज(3) तथा 49ट(2)(ख) में यह अनुबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है; तथा
4. यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा
5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा
6. यतः, **असम, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल** राज्यों के निर्वाचकों काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं; तथा
7. यतः, इसके अलावा, आयोग ने यह आदेश दिया है कि वर्तमान उप- निर्वाचनों की मतदान तिथि से पूर्व मतदाताओं को **"प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची"** बांटी जाएगी;
8. अतः, अब सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि **14-03-2017, 16-03-2017 एवं 17-03-2017** को अधिसूचित किए गए **जम्मू एंव कश्मीर में 02-श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 03-अनन्तनाग निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 06-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं असम में 113-धेमाजी(अ0ज0जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में 36-भोरंज(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्यप्रदेश में 09-अटेर एवं 89-बांधवगढ(अ0ज0जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 216-कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 79-धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 214-ननजनगुड़(अ0जा) विधान सभा निर्वचान क्षेत्र एंव 224-गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु में 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड़ में 04-लिटिपाड़ा(अ0ज0जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, सिक्किम में**

28-अपर बुरटुक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27-राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान उप-निर्वाचनों के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे । ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः-

I. पासपोर्ट
II. ड्राइविंग लाइसेंस
III. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
IV. बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
V. पैन कार्ड
VI. आधार कार्ड
VII. आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
VIII. मनरेगा जॉब कार्ड
IX. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
X. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
XI. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, एवं
XII. सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सद्स्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र ।

9. ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगें बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभंव न हो तब मतदाता को उपयुर्कत पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके **केवल** मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

आदेश से,

(के.एफ.विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव